

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016

क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/2214-2265

दिनांक 09.03.2022

**परिपत्र**

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बॉर्डस एवं निगम आदि के कार्मिको को जीपीएफ-सेब योजना के आवंटित बजट मद 8009-01-101-04 में जीपीएफ से संबंधित स्वैच्छिक/अनिवार्य अभिदान करवाने की यूटिलिटी एसआईपीएफ पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है।

जीपीएफ-सेब योजना के कार्मिको के महंगाई भत्ते, बोनस की राशि तथा राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 3(2) एवं 12(3) के अनुसार स्वैच्छिक अभिदान जमा करवाने के लिए अग्रिम कार्यवाही निम्नानुसार की जानी है :-

1. सर्वप्रथम सेब सस्थाओं के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) को संबंधित एसआईपीएफ जिला कार्यालय से स्वयं की एम्प्लॉई आईडी जारी करवानी है, तथा उस आईडी में DDO Role लेना है, उसके पश्चात उनके अधिनस्थ कार्मिको की एम्प्लॉई आईडी जारी की जावे।
2. डीडीओ के स्तर पर एम्प्लॉई आईडी क्रियेट करने की प्रक्रिया :-
  1. सर्वप्रथम संबंधित DDOकी SSOID से Loginकर एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर क्लिक करें।
  2. Employee> Create पर क्लिक करने के पश्चात निम्न आवश्यक सूचनाओ की पूर्ति करे एवं Scheme Detail में जीपीएफ सैब योजना का चयन करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करे।

**Basic Detail**

Employee Name *	Date Of Birth *	Relation *	Father/Husband Name *
		--Select--	
Marital Status *	PAN Number	Gender	Place Of Birth
--Select--		--Select--	
Mobile	Email Address	Service Status	Employee Type
		In-Service	--Select--
			Government Employee

**Contact Details**

Permanent Address	State	District	Tehsil	PIN Code
	--Select--	--Select--	--Select--	
<input type="checkbox"/> Copy To Correspondence Address Details				
Correspondence Address	State	District	Tehsil	PIN Code
	--Select--	--Select--	--Select--	

**Service Details**

Department *	SIPF Unit *	Office *	DDO *
--Select--	--Select--	--Select--	--Select--
Employment Status *	Category *	Sub Category *	Designation *
--Select--	--Select--	--Select--	--Select--
Budget Head	Date of Appointment *	Joining Date in Present Office *	Basic Pay
--Select--			

**Scheme Details**

Scheme *	Account / Policy Number	Date of Application *

Submit

### 3. डीडीओ द्वारा अभिदान जमा करवाने की प्रक्रिया:-

Payment >Scheme Payment पर क्लिक करे तथा बेसिक डिटेल की पूर्ति करने के पश्चात Deduction Detail में '+' के चिन्ह पर क्लिक करके कार्मिक की डिटेल भरे, यदि एक से अधिक कार्मिको की डिटेल भरनी हो तो इसी प्रकार '+' के चिन्ह पर क्लिक करे Save बटन पर क्लिक कर ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन/ऑफलाईन अभिदान किया जा सकता है-

Scheme Payment					
Base Detail					
Deduction Category*	Unit*	Office*	DDO*		
DA Arise	JAIPUR CITY	Jt. Sr. R. pf. Jaipur City	3565917-DDO JOINT DIRECTOR HEAD QUARTERS		
Scheme*	Budget Head*	City*	Pincode*		
GPF	8009011010100	Jaipur	302015		
Remarks*					
GPF					
Transaction Type	Total Amount*				
OFFLINE	0				
Deduction Details					
Sl. No.	Employee ID	Employee Name	Basic Pay	GPF Deduction	GPF Withdrawl Install
1	RJCR19861200177	SYED ZAHID HUSAIN	44800	0	0

उपर्युक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वायतशासी संस्थाएं अपने कार्मिको को जीपीएफ-सेब में स्वैच्छिक अंशदान, डीए, बोनस आदि जमा कराना सुनिश्चित करें।

### 4. कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक अभिदान जमा करवाने की प्रक्रिया:-

1. एम्पलॉई आईडी Create होने के पश्चात संबंधित कार्मिक <https://sso.rajasthan.gov.in> पर जाकर Registration > Govt. Employee > SIPF पर क्लिक करने के पश्चात एसआईपीएफ नं. की जगह अपनी एम्पलॉई आईडी तथा पासवर्ड में अपनी जन्म तिथि (ddmmyyyy) दर्ज कर एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुरी कर एसएसओ पर Login करे।
2. SSO Login करने के पश्चात एसआईपीएफ के नवीन पोर्टल पर क्लिक करे
3. GPF-SAB > Scheme Payment पर क्लिक करे तथा निम्न सूचनाओं को भरने के पश्चात Save बटन पर क्लिक कर ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन/ऑफलाईन अभिदान किया जा सकता है-

Base Detail			
Unit	Office	DDO	
Scheme	Head		
Transaction Type	Total Amount*	City*	Pincode*
-Select-	0		
OFFLINE			
ONLINE			

(योगमित्र दिनकर)  
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/2214-2265

दिनांक 09.03.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, बीमा/पीएफ, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय
6. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय
7. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स